



दिनांक- 05.06.2026

-प्रेस नोट-
“ऑपरेशन सवेरा”

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर

अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 215 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी/बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशील पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन सवेरा”के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक हृदयनारायण सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 04.06.26 को थाना को0 देहात पुलिस द्वारा चैकिंग / गस्त के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर अब्दुल कलीम पुत्र मौ0 कासिम निवासी मौ0 रमजानपुरा असगरी मस्जिद के पास रसूलपुर थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर को देवला से महेश्वरी की तरफ निर्माणाधीन वाईपास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 215 ग्राम अवैध चरस बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना को0 देहात पर मु0अ0सं0 264/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त अब्दुल करीम उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अब्दुल कलीम पुत्र मौ0 देहात जनपद सहारनपुर 0रमजानपुरा असगरी मस्जिद के पास रसूलपुर थाना को0 कासिम निवासी मौ0 0

बरामदगी का विवरण-

कुल 225 ग्राम अवैध चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 निप्पी सिंह थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 1272 इरफान अली थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 870 रोबिन ढाका थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।



दिनांक- 05.06.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा व आबकारी विभाग की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 340 पेटी अंग्रेजी शराब चार्ली मार्का (हरियाणा) व 01 कैंटर (ट्रक) बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब की खरीद/फरोख्त की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष सरसावा व प्रभारी आबकारी टीम के कुशल नेतृत्व में दिनांक 04.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा व आबकारी विभाग की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान **01 नशा तस्कर अभियुक्त पप्पू सिंह पुत्र स्व० किशन सिंह नि० ग्राम रोहड़ू गुमरोली थाना रोहड़ू जिला शिमला हिमाचल प्रदेश** को अम्बाला देहरादून हाइवे पर सरसावा कट से करीब 400 मीटर देहरादून की तरफ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 340 पेटी अंग्रेजी शराब (हरियाणा मार्का) व 01 कैंटर (ट्रक) बरामद। बरामदगी के आधार पर मु०अ०स० 188/2026 धारा 63/72 आब० अधि० व 318(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को समय से मा०न्या० के समक्ष पेश किया जायेगा।

पुछताछ का विवरण

अभियुक्त पप्पू सिंह उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मुझे तो इस गाडी मे अंडे भरे हुए बताकर रास्ते मे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा खर्चे के पैसे देते हुए यह गाडी प्रयागराज ले जाने के लिए बताया गया था तथा जो बिल मैने आपको दिये है यह बिल तथा बिल्टी मुझे दिये गये थे। मुझे शराब की पेटियों के बारे मे कुछ नही पता था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

पप्पू सिंह पुत्र स्व० किशन सिंह निवासी ग्राम रोहड़ू गुमरोली थाना रोहड़ू जिला शिमला हिमाचल प्रदेश

बरामदगी का विवरण

- 340 पेटी अंग्रेजी शराब चार्ली मार्का (हरियाणा)
- 01 कैंटर (ट्रक)

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम:-

1. संजीव कुमार सिंह आबकारी निरीक्षक प्रवर्तन 5 सहारनपुर
2. श्री शिखर श्रीवास्तव आबकारी निरीक्षक प्रवर्तन
3. श्री राजकमल सिंह आबकारी निरीक्षक सैक्टर 2 सहारनपुर,
4. श्री राजेश कुमार मिश्रा आबकारी निरीक्षक सैक्टर 1 सहारनपुर,
5. श्री अरुण कुमार आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 2 नकुड़ सहारनपुर
6. व०उ०नि० श्री सुबोध कुमार थाना सरसावा सहारनपुर
7. उ०नि० देवेन्द्रपाल तोमर थाना सरसावा सहारनपुर
8. है०का० 661 सम्राट सिंह, थाना सरसावा सहारनपुर
9. है०का० 24 सुनील कुमार, थाना सरसावा सहारनपुर
10. है०का० 599 प्रदीप कुमार, थाना सरसावा सहारनपुर
11. रि०का० 2580 राहुल कुमार थाना सरसावा सहारनपुर

12. रि०का० 2567 यश कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
13. कुलदीप सिंह प्र०आ०सि० प्रवर्तन 5 सहारनपुर,
14. अमित वर्मा प्र०आ०सि० प्रवर्तन 3 सहारनपुर,
15. मोहसिन खान प्रवर्तन 3 सहारनपुर,
16. नीरज कुमार आ०सि० प्रवर्तन 5 सहारनपुर,
17. देवेन्द्र सिंह आ०सि० प्रवर्तन 3 सहारनपुर,
18. अतुल खोखर आ०सि० प्रवर्तन 5 सहारनपुर,
19. परमबीर सिंह प्र०आ०सि० नकुड सहारनपुर,
20. बाबूलाल आ०सि० प्रवर्तन 3 सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 05.06.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारन, साइबर हेल्प डेस्क द्वारा साइबर ठगी के माध्यम से ठगी गयी धनराशी MRM पोर्टल के माध्यम से कुल 5000/- रुपये की शत प्रतिशत पीडित के खाते में करायी गयी

वापस

घटना का विवरण:-

दिनांक 31.12.2024 को फ्राडस्टर के द्वारा उसके साथ परिचित बनकर हास्पिटल मे भर्ती होने का बताकर झांसा देकर शिकायतकर्ता श्री अंकित कुमार पुत्र श्री मित्रपाल नि0 ग्राम पहाँसु थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर के साथ 5000/- रुपये फ्राड कर लिया गया था। जिसके सम्बन्ध मे शिकायतकर्ता उपरोक्त द्वारा दिनांक 01.01.2025 को आनलाइन साइबर पोर्टल पर साइबर फ्राड शिकायत सं0 33101250000198 दर्ज करायी थी।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर फ्राड में ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी (साइबर अपराध) एवं क्षेत्राधिकारी नकुड महोदय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री उम्मेद कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना रामपुर मनिहारन साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा साइबर शिकायत संख्या 33101250000198 में प्रभावी कार्यवाही करते हुए पीडित उपरोक्त की साइबर फ्राड मे ठगी गयी कुल धनराशि 5,000/- रुपये शत प्रतिशत होल्ड करायी गयी थी ।

इसी क्रम में उपरोक्त साइबर शिकायत में प्रभावी कार्यवाही करते हुए पीडित उपरोक्त की साइबर फ्राड के माध्यम से ठगी गयी राशि कुल 5,000/- रुपये MRM पोर्टल के माध्यम से शत प्रतिशत पीडित के खाते में वापस करायी। पीडित द्वारा धनराशि खाते में वापस पाकर साइबर हेल्प डेस्क थाना रामपुर मनिहारन का आभार प्रकट किया ।

पीडित का नाम व पता:-

अंकित कुमार पुत्र श्री मित्रपाल नि0 ग्राम पहाँसु थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

5,000/- रुपये

धनराशि वापस कराने वाली साइबर टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक उम्मेद कुमार थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 पुष्पेन्द्र सिंह थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
3. म0उ0नि0 नेहा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
4. कम्प्यूटर आपरेटर कपिल देव थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
5. है0का0 1067 दीपक थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
6. म0का0 775 आकांक्षा सिंह थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
7. म0का0 158 कविता सिंह थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर



दिनांक: 05.06.2026

-प्रेस नोट-
औपरेशन सवेरा

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करो के विरुद्ध कडी कार्यवाही

थाना बेहट पुलिस का मादक पदार्थों की तस्करी पर करारा प्रहार — 01 नशा तस्कर गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से 12 ग्राम स्मैक पाऊडर बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में **“औपरेशन सवेरा”** – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशील पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान **“औपरेशन सवेरा”** के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व में थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा दिनांक 04/05-06-26 को चैकिंग के दौरान **01 नशा तस्कर अभियुक्त रहमान उर्फ राणा पुत्र राशिद निवासी मौ0 इन्द्रा कालोनी थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को शाकुम्बरी श्मशान घाट से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त रहमान के कब्जे से 12 ग्राम स्मैक बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बेहट पर मु0अ0सं0 234/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

रहमान उर्फ राणा पुत्र राशिद निवासी मौ0 इन्द्रा कालोनी थाना बेहट जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

12 ग्राम अवैध स्मैक

अभियुक्त रहमान उर्फ राणा का आपराधिक इतिहास—

1.मु0अ0सं0 175/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 महेश चन्द थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. का0 05 उमंग राठी थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. का0 1802 बिट्टु थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. का0 226 निशान्त कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर



दिनांक: 05.06.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारन्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारन्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्र०नि० श्री सतेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.06.2026 को थाना बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान **02 वारन्टी अभियुक्तगण 1. मांगा पुत्र झुनका नि० जहानपुर थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं० 4248/25, मु०अ०सं० 24/04 धारा 60/62 आबकारी अधि० में व **2. किशनलाल पुत्र नानकू निवासी ग्राम नि० जहानपुर थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं० 4248/25, मु०अ०सं० 24/04 धारा 60/62 आबकारी अधि० थाना क्षेत्र बिहारीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुए समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. मांगा पुत्र झुनका नि० जहानपुर थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
2. किशनलाल पुत्र नानकू निवासी ग्राम नि० जहानपुर थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्र०नि० सतेन्द्र सिंह थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
2. उ०नि० विजय सिंह थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
3. का० 2383 राहुल थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
4. रि०आ० 550 नवनीत थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 05.06.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 03 सटोरी अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से पर्चा, पैन्, 2310/- रुपये नकद, 01 तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 तमंचा 312 बोर मय 10 जिन्दा कारतूस 312 बोर बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व शांतिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री हृदयनारायण सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा चैकिंग / गस्त के दौरान सट्टा लगवाने वाले 03 शांतिर अभियुक्तगण 1. विक्की पुत्र तेजपाल निवासी बुद्ध विहार ग्राम देवला थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर, 2. नीरज पुत्र सोमपाल निवासी पीएनवी बैंक वाली गली रसूलपुर थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर व 3. अँशुल पुत्र भूषण निवासी ग्राम छप्पर छुडी थाना नकुड जनपद सहारनपुर को निर्माणाधीन वाईपास की के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से पर्चा, पैन्, 2310/- रुपये नकद व रौब जमाने के लिये 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 अदद तमंचा 312 बोर व 10 जिन्दा कारतूस 312 बोर बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना को0 देहात पर मु0अ0सं0 266/26 धारा 13 जुआ अधि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. विक्की पुत्र तेजपाल निवासी बुद्ध विहार ग्राम देवला थाना को देहात जनपद सहारनपुर 0
2. नीरज पुत्र सोमपाल निवासी पीएनवी बैंक वाली गली रसूलपुर थाना को देहात जनपद सहारनपुर 0
3. अँशुल पुत्र भूषण निवासी ग्राम छप्पर छुडी थाना नकुड जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 पर्चा
- 01 पैन्
- 2310/- रुपये नकद
- एक तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- एक तमंचा 312 बोर मय 10 जिन्दा कारतूस 312 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सुबोध कुमार शर्मा थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 सौरभ कुमार यादव थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 334 संजीव कुमार शर्मा थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 870 रोबिन ढाका थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
5. रि0का0 1158 आकाश कुमार थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 05.06.2026

-प्रेस नोट-
ऑपरेशन सवेरा

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

□ **सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करो के विरुद्ध कडी कार्यवाही** □

**थाना मिर्जापुर पुलिस का मादक पदार्थों की तस्करी पर करारा प्रहार — 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार,
कब्जे से 137 ग्राम अवैध चरस बरामद ,**

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में **“ऑपरेशन सवेरा”** – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशील पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान **“ऑपरेशन सवेरा”** के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 05.06.2026 को समय 10.05 बजे दौरान गस्त चैकिंग थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान **01 नशा तस्कर अभियुक्त इंतजार पुत्र अकबर निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को मिर्जापुर से शेरपुर पैलो रोड पर एक बाग में से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त इंतजार के कब्जे से 137 ग्राम अवैध चरस बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 163/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे हैं

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/ पता:-

इंतजार पुत्र अकबर निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

137 ग्राम अवैध चरस,

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 166/21 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 15/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 179/25 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 चरनपाल सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. का0 2255 सोनवीर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. रि0का0 1463 राकेश थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।



दिनांक: 05.06.2026

-प्रेस नोट-

थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा ट्यूबवैल से चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 01 चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर 06 कटआउट (फ्यूज) की ताँबे की पत्ती, 12 स्टाटर की बड़ी ताँबे की पत्ती, 36 स्टाटर की छोटी ताँबे की पत्ती कुल वजन 470 ग्राम व 320 ग्राम ताँबे का जला हुआ केविल का तार तथा 950/- रुपये नकद बरामद ।

घटना का विवरण: -

दिनांक 08.05.26 को वादी श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र निरंजन सिंह निवासी ग्राम पिलखनी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी व अन्य लोगो के ट्यूबवैल से केबल व स्टाटर चोरी कर ले जाने की सूचना पर थाना नकुड़ पर मु0अ0स0 262/2026 धारा 303 (2) बीएनएस के पंजीकृत कराया गया था ।

पुलिस कार्यवाही: -

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त चोरी की घटना का शीघ्र अनवारण करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिस पर थाना पुलिस तुरन्त माल मुल्जिमान की तलाश में जुट गयी थी । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ महोदय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री देवेश कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में गस्त चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त संजू उर्फ संजय पुत्र रघुवीर निवासी बिजनाखेडी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर को दिनांक 05.06.26 को तिराहे से लगभग 20 मीटर बिजनाखेडी की तरफ से समय करीब 09.10 बजे गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त की घटना से सम्बन्धित चोरी के माल में से 06 कटआउट(फ्यूज)की ताँबे की पत्ती, 12 स्टाटर की बड़ी ताँबे की पत्ति 36 स्टाटर की छोटी ताँबे की पत्ति कुल वजन 470 ग्राम व 320 ग्राम ताँबे का जला हुआ केविल का तार, तथा 950 रुपये नकद बरामद हुए । बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

संजू उर्फ संजय पुत्र रघुवीर निवासी बिजनाखेडी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 06 कटआउट(फ्यूज)की ताँबे की पत्ती,
- 12 स्टाटर की बड़ी ताँबे की पत्ति
- 36 स्टाटर की छोटी ताँबे की पत्ति कुल वजन 470 ग्राम
- 320 ग्राम ताँबे का जला हुआ केविल का तार,
- 950/- रुपये नकद

अभियुक्त संजू उर्फ संजय का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 207/22 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना नकुड़,स0पुर
2. मु0अ0सं0 02/24 धारा 379/411 भादवि थाना कुतुबशेर,स0पुर
3. मु0अ0सं0 39/25 धारा 303(2)/317(2) थाना चिलकाना,स0पुर

4. मु0अ0सं0 282/25 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना सदर बाजार,स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री देवेश कुमार शर्मा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
2. उ0नि0 विरेन्द्र कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. है0का0 412 शाहरुन थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. है0का0 416 कपिल कर्दम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. है0का0 1122 प्रवीण कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर



दिनांक: 05.06.2026

-प्रेस नोट-

थाना नकुड पुलिस टीम द्वारा 01 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग की जा रही है।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त कविन्द्र पुत्र बचन सिंह निवासी ग्राम नसरुल्लागढ़ थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर को संबंधित वाद संख्या 2770/25 व मु0अ0सं0 411/2024 धारा 78/79/74/77/352/351(3) भा0न्या0सं0 व 67 आईटी एक्ट (मा0 न्यायालय एडीजे/एफ0टी0सी0-01 जनपद सहारनपुर) में थाना क्षेत्र नकुड़ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

कविन्द्र पुत्र बचन सिंह निवासी ग्राम नसरुल्लागढ़ थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री देवेश शर्मा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
2. उ0नि0 श्री राकेश कुमार शर्मा मय थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
3. का0 1997 विनीत चौधरी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
4. का0 1059 अनुज राणा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक- 05.06.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मुकदमें में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण:-

दिनांक 30.04.2026 को वादिया की लिखित तहरीर अभियुक्तगण 1. मुरतजीम पुत्र इरशाद उर्फ भूरा 2. इरशाद उर्फ चव्वनी पुत्र याकील 3. हशरत पुत्र हारून निवासी गण ग्राम दतौली मुगल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर द्वारा वीडियो वायरल करने की धमकी देने व अभियुक्त मुरतजीम द्वारा वादिया को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने व शादी से मना करने की सूचना पर थाना फतेहपुर पर मु0अ0स0 167/26 धारा 69/352/351(2)/333 बीएनएस के पंजीकृत कराया था।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर संघन चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री विरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में **01 वांछित अभियुक्त मुरतजीम पुत्र इरशाद उर्फ भूरा नि0 ग्राम दतौली मुगल थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** को होटल मूनराइज (श्रीनगर, पौड़ी उत्तराखंड) से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

मुरतजीम पुत्र इरशाद उर्फ भूरा नि0 ग्राम दतौली मुगल थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक वीरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. उ0नि0 अमित सोनी थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. है0 का0 307 प्रदीप कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
4. है0का0 1110 प्रेम सिंह थाना फतेहपुर सहारनपुर
5. का0 809 आकाश कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर



दिनांक: 05-06-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण:-

दिनांक 03.06.2026 को वादिया की दाखिला तहरीर बावत अभियुक्त द्वारा वादिया के घर में घुसकर गाली ग्लौच कर मारपीट करते हुए बालात्कार करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 224/26 धारा 64(1)/115(2)/351(3)/329(3)/324(4)/352 बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान मुकदमा उपरोक्त में **01 वांछित अभियुक्त सलमान पुत्र आलीम निवासी तेलपुरा थाना बुग्गावाला जिला भगवानपुर जनपद हरिद्वार** को रजापुर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सलमान पुत्र आलीम नि0 तेलपुरा थाना बुग्गावाला जिला भगवानपुर जनपद हरिद्वार

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री विरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. व0उ0नि0 श्री भूपेन्द्र कुमार शर्मा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. का0 2276 देवेन्द्र कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. रि0का0 783 रवि कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 05-06-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले 08 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग व गश्त की जा रही है।

इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.06.2026 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत आपस में कहासुनी को लेकर झगडा करने वाले दो पक्षों से कुल 08 अभियुक्तगण **प्रथम पक्ष से** 1. सन्नी पुत्र लोकेश, 2.सौरव पुत्र राजेन्द्र, 3.सन्नी पुत्र राजेश व 4.सतेन्द्र पुत्र सतपाल समस्त नि0गण ग्राम अल्हेडी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर व **द्वितीय पक्ष से** 1.अजब सिंह पुत्र राजेन्द्र, 2. सुरेश पुत्र संदल सिंह, 3. विनोद पुत्र संतूराम, व 4. गौतम पुत्र सुरेश समस्त नि0गण ग्राम अल्हेडी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर को अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस के गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. सन्नी पुत्र लोकेश निवासी ग्राम अल्हेडी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. सौरव पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम अल्हेडी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. सन्नी पुत्र राजेश निवासी ग्राम अल्हेडी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. सतेन्द्र पुत्र सतपाल निवासी ग्राम अल्हेडी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
5. अजब सिंह पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम अल्हेडी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
6. सुरेश पुत्र संदल सिंह निवासी ग्राम अल्हेडी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
7. विनोद पुत्र संतूराम निवासी ग्राम अल्हेडी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
8. गौतम पुत्र सुरेश निवासी ग्राम अल्हेडी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 शेषपाल सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. है0का0 307 प्रदीप कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक:05.06.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी के मुकदमें में 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 4000/- रुपये नकद व 05 एटीएम कार्ड बरामद

घटना का विवरण:-

दिनांक 10/11.05.2026 को अज्ञात चोरो द्वारा पंजाब नेशनल बैंक ग्राम जडौदा पाण्डा थाना बडगाँव से एक व्यक्ति सिपट्टर सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम मोरा थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर का ए0टी0एम0 धोखे से बदलकर 56,620/- रुपये एटीएम से निकाल लेने की सूचना पर थाना बडगाँव पर मु0अ0सं0 125/26 धारा 318(4)/303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वाँछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष बडगाँव श्री नरेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.06.2026 को थाना बडगाँव पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त एटीएम कार्ड बदलकर धोखधड़ी की घटना का सफल अनावरण करते हुए **01 वाँछित शातिर अभियुक्त शंकर पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम बलवाखेडी थाना चरथावल जिला मुजफ्फरनगर** को 4000/- रुपये व 05 एटीएम कार्ड सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण: अभियुक्त शंकर उपरोक्त ने बताया कि अब से करीब 20-25 दिन पहले उसने अपने साथी के साथ जडौदा पाण्डा स्थित पीएनबी बैंक एटीएम में पैसे निकालने आये एक लडके व उसके साथ आये बुजुर्ग से उनके पैसे निकलवाने के बहाने से उनका एटीएम अपने साथी की मदद से धोखे से बदल दिया था तथा उन्हे एक फर्जी एटीएम कार्ड दे दिया था इसके बाद दोनो वहां से चले गये तथा और उसी एटीएम कार्ड से कुल 56,620/- रुपये निकाल लिये थे जो पैसे हम लोगो ने एटीएम से निकाले थे उसको आपस में आधा-आधा बांट लिया था। जो 4000/- रुपये आपको मेरे पास से मिले है उन्ही पैसो से बचे हुए पैसे है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

शंकर पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम बलवाखेडी थाना चरथावल जिला मुजफ्फरनगर सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 217/2016 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 157/25 धारा 305/317(2)/331(4) बीएनएस थाना चरथावल जनपद मु0नगर
3. मु0अ0सं0 831/2015 धारा 147/148/149/307/399/402 भादवि थाना खतौली जनपद मु0नगर
4. मु0अ0सं0 834/2015 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खतौली जनपद मु0नगर
5. मु0अ0सं0 42/2019 धारा 323/324/457/504 भादवि थाना फुगाना जनपद मु0नगर
6. मु0अ0सं0 386/2023 धारा 379/420 भादवि थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 312/2019 धारा 379/411/420 भादवि व 66सी आईटी एक्ट थाना नानौता जनपद सहारनपुर

8. मु0अ0सं0 85/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नानौता जनपद सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 322/2019 धारा 379/420 भादवि थाना राम0मनि0 जनपद सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 219/2023 धारा 379/411/420 भादवि थाना राम0मनिहारान जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:

- 4000/- रूपये नकद
- 05 एटीएम कार्ड

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का नाम पता

1. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र राव थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री मुन्नालाल थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
3. हे0कां0 1201 मनोज कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
4. हे0कां0 1202 उमरेश कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
5. हे0कां0 521 अमरदीप थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
6. हो0गा0 2077 सतीश शर्मा थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक -05.06.2026

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.06.2026 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त शुऐब पुत्र ऐजाज निवासी पीर वाली गली न0 25 थाना मण्डी सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं0 4942/21 व मु0अ0स0 131/21 धारा 60/63 आबकारी अधि0 चालानी थाना मण्डी (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहारनपुर) नियत दिनांक 07.08.26 में पीर वाली गली से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त शुऐब उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शुऐब पुत्र ऐजाज निवासी पीर वाली गली न0 25 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री प्रतापदत्त शर्मा थाना मण्डी सहारनपुर
2. है0का0 672 प्रदीप कुमार थाना मण्डी सहारनपुर
3. का0 1600 मनोज कुमार थाना मण्डी सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 05.06.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष सरसावा श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.06.2026 को थाना सरसावा पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त सरवर पुत्र ताहीर उम्र करीब 24 वर्ष निवासी हुसैनपुर थाना सरसावा सहारनपुर को सम्बन्धित वाद संख्या 53861/24 व मु0अ0सं0 262/2023 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना सरसावा नियत दिनांक 26.05.26 में ग्राम हुसैनपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम पता:-

सरवर पुत्र ताहीर निवासी हुसैनपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

- 1- श्री प्रवेश कुमार थानाध्यक्ष थाना सरसावा, स0पुर।
- 2- उ0नि0 देवेन्द्र सिंह तोमर थाना सरसावा, स0पुर।
- 3- हे0का0 384 अनित कुमार थाना सरसावा, स0पुर।
- 4- रि0का0 2437 योगेश कुमार व थाना सरसावा, स0पुर।
- 5- रि0का0 2348 अमित कुमार थाना सरसावा स0पुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 05.06.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमे में वांछित अभियुक्त को किया गया
गिरफ्तार

सादर अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान हत्या के प्रयास के मुकदमे में **01 वांछित रहमान पुत्र नौशाद निवासी आजाद गार्डन भंगी कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर** को सम्बन्धित मु0अ0स0 269/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना मण्डी में जैन श्मशान घाट, पुराना कलसिया रोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रहमान पुत्र नौशाद निवासी आजाद गार्डन भंगी कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री राहुल शर्मा थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
2. है0का0 658 अनिल तोमर थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
3. रि0का0 1222 बलविन्दर थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।



दिनांक:05.06.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा पंजाब राज्य से 02 गुमशुदा बच्चो को सकुशल परिजनो के सुपुर्द किया गया

घटना का विवरण:-

दिनांक 05.06.2026 को 02 बच्चे रविन्द्र उम्र करीब 11 वर्ष तथा अंशराज उम्र 10 वर्ष जो घर से नाराज होकर ट्रेन में बैठ गये थे, बच्चे काफी परेशान व रो रहे थे। ट्रेन में ही सफर कर रहे पंजाब निवासी विनोद पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम मोगा शहर थाना मोगा जिला मोगा जो अपनी रिस्तेदारी मे बडगाँव जा रहे थे, उन्होने दो बच्चो को अपने साथ लाकर थाना बडगाँव पुलिस को सकुशल सुपुर्द कर दिया। थाना बडगाँव पुलिस द्वारा घटना के विषय में उच्चाधिकारीगण को अवगत कराया।

पुलिस कार्यवाही:-

इस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आपरेशन मुस्कान के दृष्टिगत, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में एवं थाना प्रभारी बडगाँव श्री नरेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना बडगाँव पुलिस द्वारा बच्चो से जानकारी की गयी तो बच्चे ग्राम राजपुरा गुरुअंगद देव कालोनी के रहने वाले पाये गये जिसके पश्चात वहाँ के सरपंच श्री मान सिंह से मोबाइल पर सम्पर्क किया गया। जिसके पश्चात तथा बच्चो के परिजन रामाश्रय व राजीव गिरी के मोबाईल नम्बर **9872426464** तथा **6283139017** पर सम्पर्क कर बच्चो के बारे मे जानकारी की गयी और परिजनो को थाने आकर अपने अपने बच्चो को ले जाने हेतु बताया गया। इस पर गुमशुदा बच्चो के परिजन दिनांक 05.06.2026 को समय करीब 16.30 बजे थाना बडगाँव पहुंचे तथा अपने बच्चो को सकुशल पाकर परिजनो ने थाना बडगाँव पुलिस की सराहना करते हुए धन्यवाद दिया और गुमशुदा बच्चो के परिजन अपने-अपने बच्चो को साथ लेकर चले गये।

गुमशुदा का नाम पता

1. रविन्द्र उर्फ बबली पुत्र रामाश्रय निवासी ग्राम राजपुरा गुरुअंगद देव कालोनी थाना कसरोआ जिला पटियाला पंजाब उम्र 11 वर्ष
2. अंशराज पुत्र राजीव गिरी निवासी ग्राम राजपुरा गुरुअंगद देव कालोनी थाना कसरोआ जिला पटियाला पंजाब उम्र 10 वर्ष

पुलिस पार्टी का नाम

1. श्री नरेन्द्र कुमार थानाध्यक्ष थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 सोनू कुमार थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री बचन सिंह अत्री थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।
4. म0कां0 406 शिवानी थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक - 05.06.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा ज्वैलर्स की दुकान से सोने की अंगूठी चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 महिला अभियुक्ता सहित कुल 04 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गयी 02 अदद अंगूठी (पीली धातु) बरामद

घटना का विवरण:-

दिनांक 24.05.2026 को वादी श्री मोहित वर्मा पुत्र रमेश वर्मा निवासी दीनानाथ बाजार थाना मण्डी जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा धोखाधड़ी करते हुए वादी की ज्वैलर्स की दुकान से सोने की अंगूठी के बदले पीतल की अंगूठी रखकर सोने की अंगूठी चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 118/26 धारा 318(4) बीएनएस के पंजीकृत कराया गया था।

पुलिस कार्रवाई:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक जनकपुरी श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना में लिप्त 04 वांछित अभियुक्तगण 1. वसीम पुत्र नसीर निवासी ग्राम डमोला थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर, 2. मेहरान पुत्र आशिफ निवासी पार्क वाली मस्जिद के पास सम्राट कालोनी खाता खेडी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर, 3. नेहा पत्नी शहजाद निवासी माहीपुरा मुल्ला महबूब वाली गली थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर व 4. नईमा पत्नी आशिफ निवासी पार्क वाली मस्जिद के पास सम्राट कालोनी खाता खेडी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर को थाना क्षेत्र जनकपुरी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की निशानदेही पर चोरी गयी 02 अदद अंगूठी (पीली धातु) बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 318(4) बीएनएस का लोपर कर धारा 305(ए)/317(2)/3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. वसीम पुत्र नसीर निवासी ग्राम डमोला थाना को0देहात जिला सहारनपुर
2. मेहरान पुत्र आशिफ निवासी पार्क वाली मस्जिद के पास सम्राट कालोनी खाता खेडी थाना मण्डी जिला सहारनपुर
3. नेहा पत्नी शहजाद निवासी माहीपुरा मुल्ला महबूब वाली गली थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
4. नईमा पत्नी आशिफ निवासी पार्क वाली मस्जिद के पास सम्राट कालोनी खाता खेडी थाना मण्डी जिला सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त नईमा का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 351/22 धारा 323/452/504/506 भादवि थाना मण्डी

2. मु0अ0सं0 04/23 धारा 420/406/467/468/471/102बी भादवि थाना मण्डी
3. मु0अ0सं0 06/23 धारा 420/406/467/468/471/102बी भादवि थाना मण्डी
4. मु0अ0सं0 81/23 धारा 420/406/467/468/471/102बी भादवि थाना कु0शेर
5. मु0अ0सं0 315/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मण्डी
6. मु0अ0सं0 118/26 धारा 305(ए)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना मण्डी

गिरफ्तार अभियुक्ता नईमा का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 351/22 धारा 323/452/504/506 भादवि थाना मण्डी
2. मु0अ0सं0 118/26 धारा 305(ए)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना मण्डी

बरामदगी का विवरण:-

➤ 02 अदद अंगूठी (पीली धातु)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री विनय कुमार, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
2. कां0 1766 मोहन थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
3. कां0 1804 प्रमोद कुमार, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
4. म0कां0 840 शशी, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
5. रि0म0कां0 1079 प्रतिभा, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।